महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.02.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 04.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति फेज- 05" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 04.02.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

महोबकंठ के ग्राम बड़ा लिलवा स्थित मन्दिर प्रांगण में तांत्रिक की मदद से अंधेरी रात में खुदाई कर चोरी की योजना में सम्मलित गैंग के फरार/वांछित एवं वारण्टी अभियुक्त को थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक अभियोग हैं पंजीकृत-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आपराधिक प्रवृत्ति के शातिर वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 04.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्र0नि0 थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के ग्राम बड़ा लिलवा के बाहर स्थित माता जी के मन्दिर के कैम्पस में तांत्रिक की मदद से योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग की गिरफ्तारी पर थाना महोबकंठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2025 धारा 313/112 बीएनएस व 207 एमवी एक्ट से संबंधित फरार/वांछित अभियुक्त हृदेश राजपूत पुत्र कुँवरलाल उम्र 31 वर्ष को ग्राम लोहरगांव से गिरफ्तार किया गया है।

ध्यातव्य है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं साथ ही अभियुक्त माननीय न्यायालय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट महोबा द्वारा निर्गत वाद संख्या 43/2022 अ0सं0 41/2022 धारा 323/504/506 व 3(1)द,ध ,3(2)5क एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त भी है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हृदेश राजपूत पुत्र कुँवरलाल उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम लोहरगांव थाना महोबकन्ठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह 2.उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित 3.म0उ0नि0 दीक्षा
4. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह 5. उ0नि0 राजेश कुमार 6.उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
7.का0 अभिषेक 8.का0 धर्मेन्द्र 9.का0 विजय निरंकारी 10. कां0 आशीष कुमार

अभियुक्त हृदेश राजपूत का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 158/16 धारा 3/7 ईसी एक्ट थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. मु0अ0सं0- 41/2022 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द,ध, 3(2)5क SC/ST एक्ट महोबकंठ
3. मु0अ0सं0- 67/2024 धारा 323/504/506/427 भादवि थाना महोबकंठ जनपद महोबा
4. मु0अ0सं0- 22/2025 धारा 313/112 बीएनएस व धारा 207 एमवी एक्ट थाना महोबकंठ
5. मु0सि0सि0नं0- 187/2022 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना महोबकंठ जनपद महोबा
6. मु0सि0सि0नं0- 10/2024 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना महोबकंठ जनपद महोबा
7. मु0सि0सि0नं0 137/24 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना महोबकंठ जनपद महोबा
8. एनसीआर नं0- 11/2025 धारा 352/351(2) बीएनएस थाना महोबकंठ जनपद महोबा